उत्तर प्रदेश शासन
नगर विकास अनुभाग–1
संख्या– M509 /9–1–2016–96सा/13
लखनऊ: दिनांक 25 नवम्बर, 2016

अधिसूचना

अधिसूचना सं0–2899/9–1–2013–96सा/13, दिनांक 30 मई, 2013 द्वारा श्री नईम अख्तर पुत्र श्री अख्तर हुसैन को नगर पंचायत, नौगावां सादात जनपद जे0पी0 नगर में सदस्य नामित किया गया था ।

2. सम्यक् विचारोपरान्त उत्तर प्रदेश नगरपालिका अधिनियम, 1916 (उत्तर प्रदेश अधिनियम संख्या 2, सन् 1916) की धारा–9 की उपधारा (1) के खण्ड (घ) के अधीन शक्ति का प्रयोग करके श्री राज्यपाल उक्त अधिसूचना द्वारा नगर पंचायत, नौगावां सादात जनपद जे0पी0 नगर में क्रमांक–26(3) पर नामित सदस्य श्री नईम अख्तर पुत्र श्री अख्तर हुसैन की मृत्यु के दृष्टिगत उक्त रिक्त सदस्य के पद पर श्री मौ0 आसिफ नईम पुत्र श्री नईम अख्तर, थाना नौगावां सादात जनपद अमरोहा को सदस्य नामित किया जाता है।

3. उक्त आदेश विशेष अनुज्ञा याचिका (सिविल) संख्या–34436/11 तथा 18362/2012 में मा0 उच्चतम न्यायालय में अंतिम निर्णय के अधीन होगा।

श्रीप्रकाश सिंह
सचिव।

संख्या–M509 (1)/9–1–2016–96सा/13 तद्दिनांक

प्रतिलिपि संयुक्त निदेशक, राजकीय मुद्रणालय एवं लेखन सामग्री, ऐशबाग, उ0प्र0 लखनऊ को इस अनुरोध सहित प्रेषित कि कृपया इस अधिसूचना को उ0प्र0 असाधारण गजट विधायी परिशिष्ट के भाग–4 खण्ड (ख) में दिनांक 25 नवम्बर, 2016 को प्रकाशित कराकर उसकी 20 मुद्रित प्रतियां नगर विकास अनुभाग–1, बापू भवन, सातवां तल लखनऊ को कृपया उपलब्ध कराने का कष्ट करें।

आज्ञा से,

(सुधीर सिंह चौहान)
संयुक्त सचिव।

संख्या–M509 (2)/9–1–2016 तद्दिनांक

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :–

1. सचिव, राज्य निर्वाचन आयोग, उ0प्र0, लखनऊ।
2. आयुक्त, मुरादाबाद मण्डल, मुरादाबाद।
3. निदेशक, स्थानीय निकाय, उ0प्र0 लखनऊ।
4. **स्पीड पोस्ट** –जिलाधिकारी, अमरोहा।
5. अधिशासी अधिकारी, नगर पंचायत, नौगावां सादात, अमरोहा।**(द्वारा जिलाधिकारी)**
6. श्री मौ0 आसिफ नईम पुत्र श्री नईम अख्तर, थाना नौगावां सादात जनपद अमरोहा।
7. वेबमास्टर, नगर विकास विभाग को इस आशय से प्रेषित कि कृपया इसे विभागीय साइट पर अपलोड किया जाना एवं समस्त संबंधित को ई–मेल किया जाना सुनिश्चित करें।
8. गार्ड फाइल।

आज्ञा से,

(सुधीर सिंह चौहान)
संयुक्त सचिव।